फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम, आर.ए.एस.

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
बहादुरसिह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बादला तहसील शिवगंज नि	**बनाम**	1.शैतानसिंह पुत्र शंकरसिंह 2.कालूसिंह पुत्र शंकरसिंह 3.प्रवीणसिंह पुत्र शंकरसिंह 4.मंछीबाई पत्नी शंकरसिंह 5.रिंकुकुंवर पुत्री शंकरसिंह 6.गटुकुंवर पुत्री शंकरसिंह पत्नी गणपतसिंह 7.निलमकंवर पुत्री स्व0 शंकरसिंह पत्नी शंकरसिंह 8.पुष्पाकंवर पुत्री शंकरसिंह पत्नी मीठूसिंह 9.पुरणकंवर पुत्री शंकरसिंह पत्नी भरतसिंह 10.छैलकंवर पुत्री शंकरसिंह पत्नी चैनसिंह 11.विक्रमसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह 12.रविन्द्रसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह 13.ईन्द्रादेवी पत्नी स्व0 सुमेरसिंह 14.शिल्पाकंवर पुत्री स्व0 सुमेरसिंह पत्नी प्रवीणसिंह 15.ज्योतिकंवर पुत्री स्व0 सुमेरसिंह 16.महिपालसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 17.लीलाबेन पत्नी स्व0 भंवरसिंह 18.पुजाकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 19.भावनाकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नी जोलीसिंह 20.मीनाकुंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह 21.कमलाकुंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नी इन्द्रसिंह 22.रेखा पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नी मनोहरसिंह 23.दलपतसिंह पुत्र स्व0 जयसिंह 24.भूरीबाई पुत्री स्व0 धनसिंह पत्नी जीवनसिंह 25.लीलाबाई पुत्री स्व0 धनसिंह पत्नी भोपालसिंह 26.छगनसिंह पुत्र स्व0 किरतसिंह 27.छैलसिंह पुत्र स्व0 किरतसिंह 28.शांतिबाई पत्नी स्व0 किरतसिंह 29.गुलाबकंवर पुत्री स्व0 किरतसिंह पत्नी हडमतसिंह 30.देशुकंवर पुत्री स्व0 किरतसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जातियान–राजपूत निवासीयान–बादला 31.सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चितारा | **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवड़ा**

प्रार्थना पत्र सख्या–09/2020

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

आदेश

दिनाक 01.09.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.10.12 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजकुमार चितारा द्वारा [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर..टी.एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय [illegible] 06.0[illegible]2 पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया [illegible] बादला भू-अभिलेख निरीक्षक शिवगंज तहसील शिवगंज में कृषि आराजी खाता संख्या 13 खसरा [illegible], 9, 69, 110 रकबा कमशः 14–02, 8–15, 2–7, 6–3 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 31–07 बीघा भूमि स्थित है। स्व0 रामसिंह के पांच [illegible] पुत्रगण जयसिंह, धनसिंह, किरतसिंह, रतनसिंह व छोगसिंह थे जिसके [illegible]रिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण [illegible] 30 है। जयसिंह, धनसिंह व किरतसिंह स्व0 रामसिंह के बडे पुत्र थे तथा रतनसिंह व छोगसिंह सबसे छोटे पुत्र थे। रियासत के समय में जयसिंह, धनसिंह व किरतसिंह स्व0 रामसिंह के बडे पुत्र होने से अपने छोटे भाई रतनसिंह व छोगसिंह का पालन पोषण करते थे एवं रतनसिंह व छोगसिंह अपने बडे भाईयों के साथ उक्त आराजी में काबिज काश्त करते थे एवं अन्य कार्यो में भी सहयोग करते थे रतनसिंह व छोगसिंह छोटे होने से उक्त आराजी स्व0 रामसिंह के बडे पुत्रों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। स्व0 रामसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी मौखिक बंटवाड कर अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त है एवं निरन्तर व निर्बाध

रूप से आदिनांक तक काबिज काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में उक्त विवादित कृषि आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने पर झगडा फसाद करने से विवाद उत्पन्न हो रहा है एवं काश्त करने से रूकावट डालने व व्यवधान उत्पन्न हो रहा है साथ ही अप्रार्थी सं0 1 ता 30 प्रार्थी के हिस्से पर आई भूमि को बेचान करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 30 के द्वारा प्रार्थी को अपने हिस्से में खेती नहीं करने देने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या एक ता तीस स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या एक ता तीस को आगामी पेशी तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नही करने एवं भूमि को बेचान करने से रोकने के लिये मोके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का आदेश फरमावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वहस कथन पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी मौजा बादला के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1, 9, 69, 110 रकवा क्रमशः 14–02, 8–15, 2–7, 6–3 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 31–07 बीघा भूमि खातेदारी की अविभाजित भूमि होने से अप्रार्थी संख्या एक ता तीस व उसके एजेन्टो उक्त विवादित भूमि का बिना विभाजन बेचान नहीं करने तथा प्रार्थी को हिस्सा भूमि में काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु विवादित भूमि की मौका एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पावन्द किया गया था। तथा तहसीलदार शिवगंज को भी राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया था।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 30 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह देवड़ा द्वारा दिनांक 08.06.2022 को वकालतनामा पेश कर दिनांक 03.08.2022 को जवाव पेश किया गया। आज दिनांक 01.09.2022 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा संशोधित जवाव पेश कर बहस की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि 1970 से हम काबिज चले आ रहे हैं, परंतु हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया। इनके द्वारा समस्त दस्तावेज केवल फोटो प्रति ही पेश की गई है। इनके दस्तावेज में ये सावित नहीं होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि आवंटित है या सेटलमेंट से इनके नाम पर है, ऐसा सावित नहीं होता है, जो नामान्तकरण की प्रति अप्रार्थी विद्वान अभिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है व प्रमाणित प्रति नहीं ... र के फोटोप्रति मात्र है। हमारा वादग्रस्त भूमि में से हमारा हक हिस्सा 1/5 को छोड़ते हुए यदि शेष बेचान हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वहस में बताया कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि के समस्त खसरों 1, 9, 69 और 110 का नाम जयसिंह, धनसिंह और किरत सिंह के नाम दर्ज हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि जय सिंह, धनसिंह एवं किरत सिंह वक्त सेटलमेंट अलग इकाई के रूप में थे एवं रतनसिंह, छोग सिंह एवं मेघ सिंह व हंजा बाई जो कि वंशावली वादी के द्वारा नहीं दर्शाया गया है का नाम भी सेटलमेंट के वक्त दर्ज नहीं हुआ है। मेरे द्वारा इस संबंध में प्रमाणित प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की है। इसके अलावा वादी की माता सुखी देवी वेवा रतन सिंह को खसरा संख्या 128/11 क्षेत्रफल 5 बीघा श्रीमान एसडीम साहब, सिरोही आदेष क्रमांक राजस्व अभियान 86/317–19 दिनांक 30.06.1986 से अलोट होने से मौके पर कब्जा दिया जाकर नामांतकरण दायर किया गया। वादी के चाचा छोग सिंह पुत्र राम सिंह को खसरा सं. 121 रकबा 5 बीघा श्रीमान एसडीओ साहब, सिरोही के आदेश क्रमांक 81 दिनांक 26.06.1981 को आबंटित होने से मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया व नामांतकरण दर्ज किया गया उसी प्रकार मेघ सिंह पुत्र राम सिंह को खसरा सं. 81 रकबा 3 बीघा श्रीमान एसडीओ साहब, सिरोही के आदेश क्रमांक 81 दिनांक 26.06.1981 व खसरा संख्या 5 मी/3 रकबा 4 बीघा श्रीमान एसडीओ साहब, सिरोही के आदेश दिनांक 29.10.1990 को आबंटित होकर मौके पर कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामांतकरण दायर किया गया।

प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के जवाब पर संशोधित जवाब का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों का भी अवलोकन किया एवं प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय से निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र जय सिंह, धन सिंह एवं किरत सिंह का ही अंकन सेटलमेंट की जमाबंदी खतौनी में उल्लेख हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेंट उक्त तीनों भाई एक अलग इकाई के रूप में थे। इसके पश्चात वर्ष 1986 में वादी की माता के नाम भूमि का आवंटन हुआ एवं सेटलमेंट के 65 वर्ष पश्चात तक प्रार्थी के द्वारा कोई दावा या प्रार्थना पत्र खातेदारी हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित खसरान नंबरान की भूमि का सेटलमेंट जमाबंदी में केवल रूप से तीनों भाइयों के नाम ही अंकन हुआ था एवं उक्त भूमि किसी भी रूप में पैतृक नहीं है प्रार्थी को कोई भी अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं. से एक कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.10.12 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा के आज तारीख 01.09.2022 को जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)